

आदेश अन्तर्गत धारा 144 द0प्र0सं0

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित वर्ष 2017 की हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट की परीक्षाएँ निकट भविष्य में प्रारम्भ होनी है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि कुछ असामाजिक व अवांछनीय तत्व परीक्षा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों एवं सूचनाओं के परीक्षणोपरान्त तथा सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया है कि विधि व्यवस्था व शान्ति सुरक्षा एवं परीक्षा का सफल आयोजन कराये जाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव मैं इला गिरी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, प्रशासन/नजूल, उधमसिंहनगर दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जनपद उधमसिंहनगर के हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट के सभी परीक्षा केन्द्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2017 से 10.04.2017 तक धारा-144 सी.आर.पी.सी.के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित करती हूँ:-

- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र, लाठी, चाकू आदि किसी भी प्रकार का हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर आदि एकत्रित करेगा एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि में नहीं करेगा और न ही ऐसे उत्तेजनात्मक नारे आदि लगायेगा, जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भव हो।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगा।
- यह आदेश दिनांक 16.03.2017 से 10.04.2017 तक प्रभावी रहेगा।
- इस आदेश का व्यापक प्रचार एवं प्रसार परीक्षा केन्द्र के आस-पास मुख्य शिक्षाधिकारी, उधमसिंहनगर/ सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कराया जायेगा।
- उक्त आदेश पुलिस बल/पी0ए0सी0 एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाओं पर प्रभावी नहीं होगा।
- आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा-188 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त आदेश को आपातिक स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत रखते हुये तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण विपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण एक पक्षीय रूप से पारित करती हूँ।

उपरोक्त प्रतिबन्ध इस आदेश के जारी होने के दिनांक 16.03.2017 से 10.04.2017 तक लागू होगा।

उक्त आदेश आज दिनांक 14.03.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।



(इला गिरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/नजूल)
उधमसिंहनगर।

क्रमशः 02....

